## न्यायालयः—माखनलाल झोड़, द्वितीय अपर संत्र न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय—बैहर

आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक /10/2018

Filling No. CRR/213/2018

संस्थित दिनांक— 14.02.2018

CNR-MP50050003032018

रमेश पिता प्रेमलाल चौरे उम्र ४३ वर्ष निवासी–मौदा तहसील किरनापुर जिला बालाघाट **– पुनरीक्षणकर्ता** 

## / / <u>विरूद</u>्ध / /

म0प्र0 राज्य द्वाराः— वन परिक्षेत्र खापा बफरजोन कान्हा टाईगर रिजर्व वृत्त गोरखपुर तहसील बैहर जिला बालाघाट — उत्तरवादी

न्यायालयः श्री दिलीप सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा पेश आवेदन अंतर्गत धारा 457 द.प्र.सं. से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका पेश

श्री नदीम कुरैशी अधिवक्ता वास्ते पुनरीक्षणकर्ता। श्री अभिजीत बापट, ए.पी.पी. वास्ते गैरपुनरीक्षणकर्ता।

-/// आदेश ///<sub>ज</sub>

(आज दिनांक 21 फरवरी 2018 को पारित)

1— पुनरीक्षणकर्ता ने यह पुनरीक्षण धारा 397 द0प्र0सं0 के अंधीन न्यायालय श्री दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेंट प्रथम श्रेणी, बैहर द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 457 द.प्र.सं. को निरस्त किए जाने से परिवेदित होकर पेश की है।

- 2— पुनरीक्षणकर्ता के विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 457 द.प्र.सं. को पेश कर वन परिक्षेत्र खाषा बफर जोन कान्हा टाईगर रिजर्व के पी0ओ0आर0 कमांक 1664/18 दिनांक 05.11.2017 में जप्तशुदा वाहन कमांक सी0जी0 07—ए0एम0—4476 का वह पंजीकृत स्वामी है, के आधार पर स्वयं के उपयोग हेतु वाहन सुपुर्दगी पर दिए जाने के आवेदन पर सुनवाई करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.01.18 को आवेदन निराकृत करते हुए निरस्त किया है।
- 3— पुनरीक्षणकर्ता की पुनरीक्षण का आधार यह है कि पुनरीक्षणकर्ता की मोटरसायकल कमांक सी.जी. 07 ए.एम. 4476 एवं मोबाईल नंबर 9755143151 पी0ओ0आर0कमांक 1664/208 धारा 39 (3), ए, 51, 48 ए/51, 9/51, 52 वन्य प्राणी सरक्षण अधिनियम 1972 में जप्तशुदा वाहन एवं मोबाईल को फारेस्ट अधिकारियों ने आर्थिक क्षिति पहुंचाने की नियत से जप्त किया है। दोनों जप्त संपत्ति का उपयोग कैसे किया गया है, का उल्लेख वन परिक्षेत्र खापा के द्वारा नहीं किया गया है। दोनों संपत्तियों का अपराध से संबंध नहीं है। उक्त मोटरसायकल व मोबाईल पुनरीक्षणकर्ता के रोज उपयोग करने वाली वस्तुएं हैं। वाहन खड़े रहने से यांत्रिकी खराबी आवेगी। सुपुर्दगी पर प्राप्त कर मामले के अंतिम निराकरण तक सुरक्षित रखने तैयार है। पुनरीक्षणकर्ता समस्त आदेशों का पालन करने तैयार है, आदेश दिनांक 19.01.2018 अपास्त कर जप्तशुदा उक्त मोटरसायकल व मोबाईल सुपुर्दगी पर दिए जाने का आदेश पारित किए जाने की याचना की है।
- 4— उभयपक्ष द्वारा किये गये तर्कों को विचार में लिया गया। वन परिक्षेत्र खापा बफर जोन कान्हा टाईगर रिजर्व के पी0ओ0आर0 कमांक 1664/18 दिनांक 05.11.2017 की डायरी अवलोकन किया गया। जप्तीपत्र के अनुसार उक्त दोनों संपत्तियां जप्त है। दूसरे जप्तीपत्र के अनुसार वन कक्ष कमांक 1097 भवानीपाठ मंदिर के पास एक नायलोन की बोरी पीले रंग में जीवित वन्य प्राणी पैंगुलिन और विडियोकॉन का काले रंग का मोबाईल जप्त होना लेख है। संपूर्ण डायरी के अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक ने वाहन और मोबाईल का

उपयोग अन्य साथियों के साथ संपर्क स्थापित करते हुए वाहन को चलाते हुए जीवित पैंगुलिन को सक्षम प्राधिकारी की अनुमित के बिना अपने कब्जे में लेकर परिवहन किया है कि साक्ष्य के आधार पर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.01.2018 को पारित किए गए प्रश्नाधीन आदेश में तथ्य की, विधि की, शुद्धता की त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। 5— अतः प्रस्तुत पुनरीक्षण स्वीकार किए जाने योग्य न होने से अस्वीकार कर निरस्त की जाती है।

6— इस आदेश की एक प्रति वन परिक्षेत्र खापा बफर जोन कान्हा टाईगर रिजर्व के पी0ओ0आर0 क्रमांक 1664 / 18 दिनांक 05.11.2017 की डायरी के साथ संलग्न कर भेजी जावे।

7— पुनरीक्षण पंजी से निरस्त हो, नतीजा पंजी में दर्ज हो, अभिलेख, अभिलेखागार में जमा हो।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में पारित किया गया।

सही / – (माखनलाल झोड़) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

सही /— गोड़) (माखनलाल झोड़) धीश, बालाघाट द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट य बेहर श्रृंखला न्यायालय बेहर